फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

सुनील लखोटिया बनाम रतनलाल व अन्य

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 141/22

सीआईएस संख्या 413/12

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.05.2026	वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 141 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसके द्वारा जो दस्तावेजात इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए है वे दस्तावेजात प्रार्थी सुनील लखोटिया के आपराधिक व दीवानी प्रकरण से संबंधित है एवं हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। ये सभी दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियां है, जो साक्ष्य में ग्राहय किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी जवाब याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण दीवानी प्रकरण है। अप्रार्थीगण ने जो फौजदारी प्रकरणों के दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हस्तगत प्रकरण में रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता। जो दीवानी वाद के दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है, उस दीवानी वाद में पक्षकार समान नहीं है। अप्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण ने जिन दस्तोवजों को रिकोर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है, इन दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ये दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के पक्षकारान/विषयवस्तु से संबंधित है। यह प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य प्रार्थी के स्तर पर है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इन दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिये जाने से प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर पडने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रकरण अभी साक्ष्य प्रार्थी के स्तर पर है एवं प्रार्थी को अप्रार्थीगण से इन दस्तावेजों के संबंध में जिरह करने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी हेतु दिनांक 25-05-2025 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.05.11 12:50:55 +0530